भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 664

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संगठनों पर रोक

†664. श्री नरेश अग्रवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक उन्माद फैलाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संगठनों पर सरकार प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले एक वर्ष में ऐसे कौन-कौन से संगठन सामने आए हैं, जिनके कारण साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

(क) से (घ): विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत, केन्द्र सरकार ऐसे संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है, जिनसे देश की अखण्डता और सुरक्षा को खतरा है और जिनमें शान्ति और साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बिगाड़ने की क्षमता है। इसलिए केन्द्र सरकार ने दिनांक 01 फरवरी, 2014 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनयम, 1967 के तहत सिमी को पांच वर्ष की अवधि के लिए एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने अपने दिनांक 30.07.2014 के आदेश के तहत प्रतिबंध को बनाए रखा।

देश में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को कायम रखने को प्रभावित करने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियां लगातार निगरानी रखती हैं और जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****